# FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

**(प्रथम सूचना रिपोर्ट)**
**(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)**

1. **District (जिला):** अजमेर **P.S. (थाना):** सिविल लाईन **Year (वर्ष):** 2022

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0500 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 01/12/2022 13:26 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भा दं सं 1860 | 420 |
| 2 | भा दं सं 1860 | 406 |
| 3 | भा दं सं 1860 | 120-B |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** शनिवार **Date From (दिनांक से):** 11/07/2020 **Date To (दिनांक तक):** 11/07/2020
   **Time Period (समय अवधि):** पहर 1 **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे
   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 01/12/2022 **Time (समय):** 13:08 बजे
   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 037 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 01/12/2022 13:08:00 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** पूर्वोत्तर, 2.66 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** बन्दिया गांव
   (b) **Address(पता):** sub registrar office, Ajmer
   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
   **Name of P.S (थाना का नाम):** **District(State) (जिला (राज्य) ):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Anand Agarwal

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Lat.Sh. Ramdas Agarwal

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1961 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** भारत

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
**Date of Issue (जारी करने की तिथि):** **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | 13/436 नया बाजार पुलिस थाना कोतवाली, AJMER, सिविल लाईन, अजमेर, राजस्थान, भारत |
| 2 | स्थायी पता | 13/436 नया बाजार पुलिस थाना कोतवाली, AJMER, सिविल लाईन, अजमेर, राजस्थान, भारत |

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9820095446

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

**Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):**

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chandra Prakash Dani | | पिता:Radheshyam Dani | 1. Agrasen Nagar, Ajmer,Ajmer, अजमेर,राजस्थान,भारत |
| 2 | Badrinarayan Hattka | | पिता:Laduram Hattka | 1. 41, Sarveshwar Nagar, Shastri Nagar, Ajmer,Ajmer,अजमेर, राजस्थान,भारत |
| 3 | Vishnukant Bansal | | पिता:Banwarilal Aggarwal | 1. 13 / 37, Ghas Katla, Naya Bazar, Ajmer,Ajmer,अजमेर, राजस्थान,भारत |
| 4 | Rajesh Agrawal | | पिता:Ramdas Agrawal | 1. G-4, Shyam Appartment, C-77, Sarojini Marg, C Scheme, Jaipur, Jaipur,जयपुर सिटी,राजस्थान,भारत |
| 5 | Smt. Usha Bansal | | पत्नी:Late. Shri Durgaprasad Basanl | 1. 461/10, Bhinay House, Jaipur Road, Ajmer,Ajmer,अजमेर, राजस्थान,भारत |

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में , श्रीमान् थानाधिकारी पुलिस थाना सिविल लाईन , अजमेर विषयः- मुकदमा दर्ज करने हेतु । महोदय , निवेदन है कि मै आनन्द अग्रवाल पुत्र स्व. श्री रामदास अग्रवाल, निवासी- 13/436 , नया बाजार, अजमेर हाल निवासी -505 , उत्तर लेकशोर, ड्राईव यूनिट, 1407, शिकागो आई.एल. 60611 का हूं । मै श्री रमा बैकुण्ठ बालूराम धमार्थ ट्रस्ट पुष्कर रोड अजमेर का मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति ए.एम.सी. नम्बर 436/2 543/44 - 543/55 पुष्कर रोड, अजमेर में स्थित है । उक्त ट्रस्ट पंजीकृत ट्रस्ट है जिसे मेरे दादा स्व. श्री बालूराम जी अग्रवाल द्वारा जरिये ट्रस्ट डीड दिनांक 29/10/1956 बनाया गया व उक्त ट्रस्ट डीड दिनांक 03/06/1957 ( ट्रस्ट डीड संलग्न है ) को उपपंजीयन अधिकारी अजमेर के कार्यालय में पंजीकृत करवायी । ट्रस्ट की पंजीकृत ट्रस्ट डीड के प्रावधान अनुसार ट्रस्टी के स्वर्गवास होने, अयोग्य हो जाने या ट्रस्टी के कार्य से मना करने पर या उसके हट जाने की स्थिति में उसका ज्येष्ठ पुत्र ट्रस्ट में ट्रस्टी होगा और इसी प्रकार श्रृंखला अनावरत चलती रहेगी तथा यदि किसी ट्रस्टी के पुत्र न होने अथवा ट्रस्टी के कार्य करने से मना करने की स्थिति में बाकी ट्रस्टी आपसी सहमति से किसी अन्य को ट्रस्टी नियुक्त कर सकेंगें, ऐसा प्रावधान ट्रस्ट डीड में किया गया है । ट्रस्ट के गठन के पश्चात् उक्त ट्रस्ट में पाँच ट्रस्टी नियुक्त हुए, जिनका वर्णन ट्रस्टडीड में है तथा स्व. श्री बालूराम जी अग्रवाल प्रथम मैनेजिंग ट्रस्टी थे। चूंकि ट्रस्टडीड अनुसार ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी श्री बालूराम जी अग्रवाल के परिवार से ही नियुक्त होना प्रावधानित है, इसलिए स्व . बालूराम जी अग्रवाल के स्वर्गवास के पश्चात् उनके ज्येष्ठ पुत्र स्व. श्री रामदास अग्रवाल मैनेजिंग ट्रस्टी बने तत्पश्चात् श्री रामदास अग्रवाल की मृत्योपरान्त स्व. श्री रामदास अग्रवाल के स्थान पर उनका ज्येष्ठ पुत्र होने की हैसियत से मै श्री रमा वैकुण्ठ बालूराम धमार्थ ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी बना व हूँ तथा वर्तमान में मेरे अलावा उक्त ट्रस्ट में तीन ट्रस्टी ( 1 ) श्री चन्द्रप्रकाश डाणी पुत्र श्री राधेश्याम डाणी , निवासी अग्रसेन नगर, अजमेर ( 2 ) श्री बद्रीनारायण हटूका पुत्र श्री लादूराम हटूका निवासी -41 , सर्वेश्वर नगर , शास्त्री नगर , अजमेर ( 3 ) श्री विष्णुकान्त बंसल पुत्र श्री बनवारीलाल अग्रवाल , निवासी -13 / 37 , घास कटला, नया बाजार, अजमेर है । स्व . श्री मुकेश अग्रवाल पुत्र स्व . श्री रामदास अग्रवाल , निवासी -13 / 436 लोहावाला बिल्डिंग नया बाजार , अजमेर व श्री राजेश अग्रवाल पुत्र श्री रामदास अग्रवाल, निवासी- जी -4, श्याम अपार्टमेन्ट, सी -77, सरोजनी मार्ग, सी स्कीम , जयपुर दोनो मेरे छोटे भाई है तथा वह उक्त ट्रस्ट में कभी ट्रस्टी नही रहे, और न है । ट्रस्ट की उक्त सम्पत्ति के एक भाग में सन् 1972 से शंकर आयरन फाउण्ड्री किरायेदार के रूप में काबिज है जिसकी प्रोपराईटर श्रीमती उषा बंसल पत्नी स्व. श्री दुर्गाप्रसाद बसंल, निवासी -461/10, भिनाय हाऊस, जयपुर रोड, अजमेर है । उपरोक्त नामित व्यक्तियों, श्री चन्द्रप्रकाश डाणी, श्री बद्रीनारायण हटूका, श्री विष्णुकान्त बंसल, श्री राजेश अग्रवाल, स्व. श्री मुकेश अग्रवाल व श्रीमती उषा बंसल द्वारा ट्रस्ट की सम्पत्ति के एक भाग को गैर कानूनी तरीके से खुर्द - बुर्द कर हड़पने के बेईमानी पूर्ण उद्देश्य से व आपस में आपराधिक षडयंत्र रचकर व सांठ- गांठ कर ट्रस्ट के हितों व उद्देश्यों के विपरीत ट्रस्ट को अनुचित नुकसान पहुंचाने की मंशा से ट्रस्ट की सम्पत्ति का एक भाग जिसका कुल क्षेत्रफल 1718 वर्ग गज है , को जरिये पंजीकृत लीजडीड दिनांक 11/07/2020 श्रीमती उषा बंसल को गैर कानूनी तरीके से अंतरित कर 99 वर्ष की शाश्वत लीज पर दे दिया परन्तु उक्त कथित लीज डीड की आड़ में ट्रस्ट की सम्पत्ति हमेशा के लिए हस्तान्तरित कर दी व सम्पत्ति के सम्बन्ध में मालिकाना हक के समान समस्त अधिकार श्रीमती उषा बंसल को दे दिये व ट्रस्ट को अपने मालिकाना हक व अधिकार की सम्पत्ति से वंचित कर ट्रस्ट की सम्पत्ति को कथित लीज डीड की आड़ में न्यास के विपरीत खुर्द - बुर्द कर हड़प कर गये व आपराधिक कृत्य किया है । यही नही कथित लीजडीड में उपरोक्त नामित व्यक्तियों स्व. श्री मुकेश अग्रवाल व राजेश अग्रवाल द्वारा अपने आपको श्री रमा बैकुण्ठ बालूराम धमार्थ ट्रस्ट का ट्रस्टी बताया है, जिन्हे

चन्द्रप्रकाश डाणी, बद्रीनारायण हटूका, विष्णुकांत बंसल व श्रीमती उषा बंसल ने भी उनका सहयोग किया व उन्हे ट्रस्टी बताते हुए कथित लीजडीड निष्पादित की व उस पर हस्ताक्षर किये जबकि स्व. श्री मुकेश अग्रवाल व राजेश अग्रवाल दोनो कभी भी उक्त ट्रस्ट में ट्रस्टी नही रहे । उक्त संबंध में अपर जिला न्यायाधीश संख्या 5 अजमेर द्वारा दीवानी वाद संख्या - 172/12 ( 26/1996 ) श्री रमा बैकुण्ठ बालूराम धमार्थ ट्रस्ट बनाम श्री रामदास अग्रवाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03/06/2017 ( निर्णय संलग्न है ) में निर्णित किया गया है कि ट्रस्ट की सम्पत्ति या उसके किसी भाग को शाश्वत लीज पर नही दिया जा सकता है । उक्त पूर्व वाद में श्री चन्द्रप्रकाश डाणी स्वयं वाद दायर करने वाला पक्षकार था व उसके द्वारा रामदास अग्रवाल द्वारा निष्पादित शाश्वत लीज को निरस्त कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया था । उक्त वाद में ही शंकर आयरन फाउण्ड्री जिसकी प्रोपराईट श्रीमती उषा बंसल है, भी पक्षकार थी । यही नहीं उक्त पूर्व वाद में न्यायालय द्वारा जरिये आदेश दिनांक 08/01/2002 (आदेश संलग्न है ) मुझे, उक्त वाद में पक्षकार स्व. श्री रामदास अग्रवाल के स्थान पर ट्रस्टी के रूप में रिकॉर्ड पर लिया गया व स्व. मुकेश अग्रवाल व राजेश अग्रवाल की रिकॉर्ड पर नहीं लिया । तदोपरान्त दिनांक 02/04/2014 ( दस्तावेज संलग्न है ) को स्व. श्री मुकेश अग्रवाल व अन्य द्वारा उन्हें ट्रस्ट के ट्रस्टी की हैसियत से रिकॉर्ड पर लेने व उक्त वाद में पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जो न्यायालय द्वारा जरिये आदेश दिनांक 06/04/2017 ( आदेश संलग्न है ) को निरस्त कर दिया गया व स्व. मुकेश अग्रवाल को उक्त ट्रस्ट का ट्रस्टी नही माना । उक्त से भी स्पष्ट है कि स्व. मुकेश अग्रवाल व राजेश अग्रवाल ट्रस्ट में कभी ट्रस्टी नही रहे। परन्तु उक्त समस्त तथ्यों व उक्त दीवानी वाद में पारित आदेशों व निर्णय की उपरोक्त नामित समस्त व्यक्तियों को जानकारी होने के पश्चात् भी उपरोक्त नामित व्यक्तियों चन्द्रप्रकाश डाणी , बद्रीनारायण हटूका व विष्णुकान्त बसंल द्वारा स्व. मुकेश अग्रवाल, राजेश अग्रवाल व श्रीमती उषा बंसल के साथ मिलीभगत कर आपराधिक षडयंत्र के तहत ट्रस्ट की सम्पत्ति के उक्त भाग को, जो उन्हें ट्रस्टी के रूप में न्यस्त था , को न्यास के विपरीत बेईमानीपूर्वक खुर्द - बुर्द करने की बदनियत मंशा से सभी ने कपटपूर्वक कूटरचित दस्तावेज कथित लीजडीड दिनांक 11/07/2020 निष्पादित की व ट्रस्ट की सम्पत्ति का भाग , जिसकी बाजारू कीमत 5 करोड से अधिक है , को खुर्द - बुर्द कर दिया । व ट्रस्ट को अनुचित नुकसान पहुंचाया । उपरोक्त नामित पाँचों व्यक्ति उक्त आपराधिक कृत्य करने के लिए जिम्मेदार है परन्तु स्व. श्री मुकेश अग्रवाल का निधन दिनांक 17.09.2021 को हो गया है, इसलिए उक्त चारों व्यक्तियों के विरुद्ध यह रिपोर्ट प्रस्तुत है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उपरोक्त नामित व्यक्ति श्री चन्द्रप्रकाश डाणी , बद्रीनारायण हटूका , विष्णुकान्त बसंल , श्री राजेश अग्रवाल व श्रीमती उषा बंसल के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करे । अजमेर दिनांक: - 1 .12.2022 प्रार्थी एसडी 1818-421-3755, 9820095446 कार्यवाही पुलिस पुलिस थाना सिविल लाईन अजमेर दिनाक 01.12.2022 समय13.08 प्रमाणित किया जाता है कि परिवादी श्री आनन्द अग्रवाल पुत्र स्व. श्री रामदास अग्रवाल निवासी 13/436 नया बाजार पुलिस थाना कोतवाली जिला अजमेर हाल निवासी 505 उत्तर लोककशोर ड्राईवर युनिट 1407 शिकागों आई.एल 60611ने उपस्थित थाना होकर एक टाईप शुदा रिपोर्ट पेश की मजमुन रिपोर्ट से मामला अपराध धारा 420,406,120 B IPC में दर्ज कर मन थानाधिकारी दलबीर सिंह पु.नि. मशरुफ तफतीश हुआ FIR की नकल CCTNS में दर्ज की गई व CCTNS से FIR NO. प्राप्त होने पर अंकित किये जायेगे। प्रतिया FIR नियमानुसार जारी की गई। एक प्रति प्रार्थी को निशुल्क दी जायेगी।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
**(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
DALBEER SINGH (निरीक्षक) / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.):** **Rank**
**(जाँच अधिकारी का नाम ):** **(पद):**
**No(सं.):** **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
**(जाँच के लिए) :**
**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)**

**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

**Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

Signed by: Dalbeer Singh
Location: Rajasthan,IN
Date: 01/12/2022 18:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

**Name(नाम):** DALBEER SINGH

**Rank (पद):** I (Inspector)

**No(सं.):**